TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 47H JANUARY, 2000

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

New Delhi, dated the 4th January, 2000

NOTIFICATION

S.O. Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, number S.O. 617(E) dated the 10th August, 1992, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3 Rehabilitation Centre for handicapped, by Manovikas Kendra, Calcutta, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993-94, which was extended vide S.O.No. 580(E) dated 27th June, 1995 by a period of three more years beginning with assessment year 1996-97, which was further extended vide S.O. 702(E) dated 3rd October. 1997 for a period of three more years beginning with assessment year 1997-1998.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Rehabilitation Centre for handicapped, which is being carried out by Manovikas Kendra, Calcutta, at the estimated cost of rupees four crores only, as an eligible project or scheme for a further period of two years beginning with assessment year 2000-2001.

Director(National Committee)

F.No. NC-136/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II खण्ड-3 उपखण्ड (ii) मे दिनांक 4...धाल.वरी को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक. 4. णानवरी, 2000

अधिसूचना

सां०आ०... (अ०) जबकि आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की घारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पित उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 अगस्त दिसम्बर, 1992 को जारी अधिसूचना सं० सां० आ० 617 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्रम सं० 3 पर मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता द्वारा विकलांगों के लिए पुनर्वास केन्द्र को निर्धारण वर्ष 1993-94 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था, जिसे दिनांक 27 जून, 1995 की सां० आ० सं० 580 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले तीन और वर्षों की अविध के लिए तथा दिनांक 3 अक्तूबर 1997 की सां० आ० सं० 702 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अविध के लिए बढ़ाया गया था ,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा रकीम के नौ वर्षा से आगे बढ़ने की संभावना है, और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा रकीम उचित रूप से निषपादित की जा रही है आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम 5 के अनतर्गत उक्त परियोजना अथवा रकीम को और-दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिष्कारिश की थी,

अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 करा के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के राथि पठित उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुंए मनोविकारा केन्द्र कलकत्ता द्वारा विकलांगों के लिए चलाए जा रहे पुनर्वास केन्द्र की स्कीम अथवा गरियोजना को भाव यार करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर निर्धीरण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने जले और द्वी वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

प्रिकीऽ (पोमिला बीo प्रसाद) निदेशक (रा ०स०)

स0 **11 | ९२** फा0 सं0 एन० सी0 136/99